

21.3.18

पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरान में ग्राम नोख में स्थाई रास्ता जो नोख से भाईयोणि की ढाणी तक जा रहा है। इस रास्ते पर सड़क बनी हुई है, जो संलग्न नक्शे में वरंग हरा दर्शाई गई है। उक्त रास्ता बारामासी है। लिहाजा राजस्व रेकॉर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित खसरान की भूमि में सड़क बनी हुई है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा नोख की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में हरा रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई- चौड़ाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	जोगा वाला उम्मेदा पिसरान कुम्भा जाति जाट सा. देह खातेदार	179/78	6.00	566X20	0.13
2	रूपाराम मगनाराम पदमाराम पिसरान खरथाराम केसरी देवी तीजोदेवी पत्नीयां खरथाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	290/78	18.13	566X20	0.13
3	कलाराम हेमराम बगताराम दोलाराम नेनाराम गेनाराम पिसरान रामचन्द्र जेतीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट सा. देह खातेदार	177/78	30.04	350X20	0.08

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर



758
4-4-18